भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4342

(दिनांक 13.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

प्रिंट मीडिया

4342. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार समाचार पत्रों के प्रकाशन और उनकी प्रसार दर और विज्ञापन के प्रकाशन के लिए सरकारी अभिकरणों द्वारा उन्हें प्रदत्त धनराशि से संबंधित विभिन्न आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में क्षेत्रीय अखबारों सहित भारतीय प्रिंट मीडिया में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ क्षेत्रीय पत्रों द्वारा कथित रूपसे दुर्भावना के मामलों की सूचना दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले दर्ज किये गए हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में छोटे समाचार पत्रों और अन्य मीडिया कर्मियों में कार्यरत संपादक सहित श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मीडिया कर्मियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क): सरकार भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) के साथ पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का डाटा रखती है, जिसका विवरण आरएनआई द्वारा प्रकाशित "भारत में प्रेस" नामक वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है और यह इसकी वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) से (ग): आरएनआई द्वारा रखे गए प्रकाशनों के रजिस्टर के अनुसार, पंजीकृत प्रकाशनों की कुल संख्या विगत वर्षों से लगातार बढ़ी है।

(घ): जब कभी प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का उल्लंघन पाया जाता है, उल्लंघन की शिकायतों पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (छ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकारों/मीडिया कार्मिकों या पत्रकारों की मृत्यु के कारण अत्यंत विकट परिस्थितियों में रहने वाले उनके परिवारों और उन पत्रकारों, जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, प्रमुख सूचीबद्ध बीमारियों से ग्रस्त हैं और जिन्हें दुर्घटनाओं में ऐसी गंभीर चोट लगी हो जिससे उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़े, को तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करने की 'पत्रकार कल्याण स्कीम' लागू की गई है।

****